मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 17194/ 02/2015/चयन इन्दौर दिनांक 04 FEB 2019

//विज्ञप्ति//

जिला आयुष अधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त होने के पश्चात आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन का निराकरण किए जाने संबंधी ।

01. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015/दिनांक31.03.2015 के अन्तर्गत आयुष विभाग के तहत जिला आयुष अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया हैं ।

02. आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 15785/02/चयन/2015, दिनांक 04.01.2019 द्वारा कुल–08 आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी विज्ञापन में विज्ञापित कंडिका अनुसार आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी का 05 वर्ष का पूर्ण नहीं होने से निरस्त की गई हैं । साक्षात्कार हेतु निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशित किया गया था, कि अगर साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना हो तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

03. आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति के संदर्भ में साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त होने पर निम्नलिखित आवेदकों द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं :–

स.क्र.	रोलनंबर	आवेदक का नाम	श्रेणी
01.	1000102	सुभाष चन्द्र भार्गव	अन्य पिछड़ा वर्ग
02.	1000241	शैलेष दीवान	अनुसूचित जाति
03.	1000381	अनिल वर्मा	अन्य पिछड़ा वर्ग
04.	1000096	राजेश्वरी मेहरा	अनुसूचित जाति
05.	1000469	समीर कुमार तिवारी	अनारक्षित

04. उपरोक्त पैरा–3 में उल्लेखित 05 आवेदकों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन संलग्न सहप्रपत्रों का परीक्षण उपरांत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाते हैं । आदेशानुसार आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी पूर्व में जारी विज्ञप्ति दिनांक 04.01.2019 में अंकित कारणों से यथावत निरस्त रहेगी ।

उप परीक्षा नियंत्रक